

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पाटलीपुत्रा अंचल, बुडको, पटना

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या E-Tender - 4/2022-23/Patna

(e-tendering on website – eproc2.bihar.gov.in)

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, पाटलीपुत्रा अंचल, बुडको।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-11.01.2023
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक 19.01.2023 से 07.02.2023 के 03.00 बजे तक
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/ तिथि : 23.01.2023 बजे 1.00 बजे पाटलीपुत्रा अंचल, बुडको।
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/ समय : दिनांक- 08.02.2023 के 4.00 बजे तक
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक- 09.02.2023 के 4.00 बजे के बाद
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय : तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात।
(on website www.eproc2.bihar.gov.in)
8. अग्रधन, सभी शपथ-पत्र, Existing Commitment (मूल में), परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान : दिनांक-09.02.2023 के 3.00 बजे तक

1. महाप्रबंधक, दक्षिण बिहार उपभाग, बुडको वेस्ट बोरिंग कनेल रोड, राजापुल, पटना-800001, बिहार, पटना का कार्यालय।

2. कार्यपालक अभियंता, पाटलीपुत्रा अंचल क्षेत्र, बुडको, पटना का कार्यालय।

9. कार्य का विवरण:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिंग मानसून अवधि माह में)
1	Repairing of Outlet pipes of SP Verma Road DPS by Mass PCC Concreting near SP Verma DPS, BUIDCO Patna.	1077063	21542	10000.00	As per Beltron	21 days

नोट:- 1. Bidders should submit Bid Processing fee through on line payment as per amount generated on website www.eproc2.bihar.gov.in

10. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-
 - (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, NEFT/RTGS.
 - (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
12. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in एवं <https://buidco.in> पर देखा जा सकता है।
13. निविदा में भाग लेने वाले बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), बिहार के समुचित श्रेणी में निबंधित होना अनिवार्य है।

14. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें www.eproc2.bihar.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं०-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या-0612-2523006, मो० संख्या-7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।

15. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

16. (क) E-Tendering/eprocurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online mode (e-payment mode) यानी Inter Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) E-Tendering/eprocurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा। कया जाना अनिवार्य है।

Online mode के तहत अग्रधन की राशि Inter Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैं गारन्टी (as per the format in SBD) जो बिड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन + 45 दिन = कुल 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से **प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना** के पक्ष में निर्गत होना आवश्यक है। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है, तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। इसकी मूल प्रति निविदा कागजात के साथ प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना के कार्यालय में **दिनांक- 02.02.2023 के 03.00 बजे अपराह्न** तक आवश्यक जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ग) **"Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/None submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."**

(घ) **"BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode"**.

(ङ.) Eproc-2 पोर्टल पर निविदा हेतु बुडको के पत्रांक संख्या-3671, दिनांक-21.11.2022 एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-752, दिनांक-21.08.2020 द्वारा निर्गत संकल्प-सह-ज्ञापांक पूर्णतः लागू होगा।

17. परिमाण विपत्र का मूल्य

उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो **प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना** के पदनाम से संबंधित जिले के बैंक में भुगतान हो, स्वीकार किया जायेगा, जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए।

(1) अग्रधन

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि जो **प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना** के पदनाम से प्रतिज्ञित (Pledged) हो (मूल में) जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में निम्न प्रकार के मौद्रिक साधन (Monetary Instrument) अनुमान्य होंगे।

(i) किसी भी अनुसूचित बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा रसीद (सावधि जमा रसीद की वैधता अवधि निविदा प्राप्त की तिथि से छ महीने अधिक तक की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

(ii) किसान विकास पत्र।

(iii) किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डिमांड ड्राफ्ट, जो संबंधित पदाधिकारी के पक्ष में उस जिले में भुगतान हो।

(iv) डाकघर का बचत खाता।

- (v) 1/2/3 वर्षीय डाकघर सावधि जमा।
 (vi) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, जो बिहार राज्य के अन्तर्गत निर्गत हो।
 (vii) पाँच वर्षीय डेवलपमेंट बॉण्ड।
 (viii) स्टेट डेवलपमेंट लोन सर्टिफिकेट।
 (ix) एक करोड़ से अधिक राशि के कार्य हेतु अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा।
- (ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
- (2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।
 (क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
 (ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
 (ग) पैन कार्ड की प्रति।
 (घ) G.S.T निबंधन प्रमाण-पत्र।
 (ङ) संवेदक का आचरण प्रमाण-पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा उनके पक्ष में नहीं होगा।
- (3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।
- (4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड) "मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम)..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि—
 (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।
 (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
 (ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
 (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।
 (ङ) संवेदक के पास (i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईव्रेटर, (iii) शटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर, (v) गुण-नियंत्रण उपकरण तथा भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से (v) के साथ-साथ एलीमेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र एवं गुण-नियंत्रण उपकरणों की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।
- (च) बिटुमिन्स पथ के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैंशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM. SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Roller, Paver Finisher, Fe loader, Tipper आवश्यक है, जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु तत्संबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ-पत्र कंडिका (ग) के अनुरूप देना अनिवार्य होगा।
- उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदको का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है फलस्वरूप संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबन्धन नियमावली-2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।
- (छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित है से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी।

अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरुद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत राशि उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(ज) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

18. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र, जो निविदा के लिए आवश्यक हैं, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
19. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी एवं अन्य करों की कटौति विपत्र से की जाएगी।
21. रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज के आधार पर आपपूर्तिकर्ता/कार्य ठीकेदारों के विपत्र से समय-समय पर खन एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग/बुडको द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन परिपत्रों के आलोक में काटी जाएगी। GST की कटौती नियमानुसार विपत्रों से की जायेगी।
22. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
23. दो करोड़ से उपर की राशि की निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से की जायेगी।
24. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
25. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में, किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
(2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद किसी संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि:-
(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये हैं।
(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, निविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड हैं तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
(4) पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-6158 (एस), दिनांक-09.07.2014 लागू होगा एवं इसमें प्रावधानित निम्नलिखित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा:-

"I, the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachments are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable to be infilicted upon the FIR and lawful punishments as well as black listing."

26. प्रतिशत दर निविदा

- (क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों में विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जायेगी।

(ख) तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

(ग) CWJC No.-9941/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-447(S), दिनांक-16.01.2020 पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप उससे पूर्व के पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-2046 (S) दिनांक-06.03.2014 के अनुसार 10% (दस प्रतिशत) से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

27. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

28. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

29. **निविदा निष्पादन**

(1) यदि निविदा के अहर्ता/शर्तों के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

30. **एकरारनामा**

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 07 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

अन्य शर्तें

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी :-

31. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।

32. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में (निविदा तिथि के पूर्ववर्ती माह तक) किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Payment होगा।

33. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र-संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी अपलोड करना होगा।

34. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम-से-कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्सम्बंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। यदि एक ही डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

35. (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है। संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

36. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदक को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 6 माह होगी। तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।

37. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने मे संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
38. In the unlikely event of the server for www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
39. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
40. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
41. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
42. In exceptional circumstances, the competent authority, BUIDCO may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
43. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
44. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
45. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.
46. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्य हेतु—
(a) पथ निर्माण विभाग के प्र0-6/नियम-03-03/2001-1399(s) दिनांक-31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
(b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
(c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है। तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र अंचल क्षेत्र, बुडको से संपर्क कर सकते हैं।


10.01.2023

परियोजना निदेशक
पाटलीपुत्रा अंचल, बुडको।